मुख्य श्रम आयुक्त (कें०) कार्यालय
Office of Chief Labour Commissioner (C)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
मुख्य श्रम आयुक्त (कें०) कार्यालय
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110001
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner (C)
Shram Shakti Bhavan, New Delhi-110001

संदेश

हमारा देश सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। देश की भाषाई संपन्नता को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में भाषाओं के लिए अलग से आठवीं अनुसूची का प्रावधान किया जिसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं रखी गई थी और अब इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी की महती भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 द्वारा संघ की राजभाषा हिन्दी और देवनागरी लिपि को अपनाया। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश दिए गए हैं।

14 सितंबर, 1949 के दिन हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इस अवसर पर माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने हिन्दी के संवर्धन में सहयोग हेतु संदेश जारी किया है। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी का संदेश अनुपालनार्थ संलग्न है।

मुख्य श्रमायुक्त (कें.) कार्यालय में दिनांक 14 सितंबर, 2022 से 28 सितंबर, 2022 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि हिन्दी पखवाड़ा में आयोजित प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और हिन्दी के उत्तरोत्तर विकास में समग्र सहयोग करें।

सभी क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध है कि हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं और हिन्दी में किए गए कार्य की रिपोर्ट मुख्यालय को अवश्य प्रेषित करें।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

रेमिस टीरू

(रेमिस टिरू)

मंत्री
श्रम एवं रोज़गार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
भारत सरकार

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सत्यमेव जयते

MINISTER
LABOUR & EMPLOYMENT
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
GOVERNMENT OF INDIA

भूपेन्द्र यादव
BHUPENDER YADAV

भूपेन्द्र यादव
श्रम और रोजगार मंत्री

संदेश

14 सितम्बर, 2022, हिन्दी दिवस के अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ/संबद्ध/स्वायत कार्यालयों के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार और जनता के बीच आम जन की भाषा ही संपर्क भाषा के रूप में सफल और सार्थक हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को राजभाषा घोषित किया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन हमें राजभाषा हिन्दी के प्रति अपने संवैधानिक एवं नैतिक दायित्वों का स्मरण दिलाता है।

माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत विश्व में एक शक्तिशाली साधन संपन्न राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहा है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से हिन्दी भाषा का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिन्दी में किए गए संबोधन स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि वैश्विक स्तर पर हिन्दी का महत्व बढ़ता जा रहा है।

हिन्दी दिवस के इस पावन अवसर पर मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपील करता हूं कि सभी अपना अधिक से अधिक सरकारी काम हिन्दी में करें और सभी मन, वचन और कर्म से प्रतिबद्ध होकर हिन्दी के संवर्धन में सहयोग दें।

जय हिन्द।

(भूपेन्द्र यादव)

120, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली - 110001 दूरभाष : +91-11-23717515, 23710240 फैक्स : +91-11- 23711708
120, Shram Shakti Bhawan, New Delhi-110001 Phone : +91-11-23717515, 23710240 Fax : +91-11- 23711708